**न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 25, बाराबंकी।**

**CNR No- UPBB 040257402022**

**पर्कीण प्रार्थनापत्र सं0–268 / 2022**

**आफरीन बानों बनाम अब्दुल फईम आदि**

**अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0,**

**थाना–टिकैतनगर, जिला–बाराबंकी।**

**दिनांकः 06.09.2022**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थिनी आफरीन बानों पुत्री अब्दुल सलाम द्वारा विपक्षीगण अब्दुल फईम उर्फ अब्दुल अली पुत्र अब्दुल सलाम, नसरीन बानों पत्नी अब्दुल फईम उर्फ अब्दुल अली व तीन अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश पारित किया जाये।

प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है। मैंने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा थाना टिकैतनगर ,बाराबंकी की आख्या एवं पत्रावली पर अन्य उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रकरण में प्रार्थिनी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके मरने के बाद प्रार्थिनी के भाइयों के बीच मकान का बटवारा हो चुका है। प्रार्थिनी अपने भाई मो0 अजीज के हिस्से वाले मकान में उनके साथ रह रही है दिनांक 30.07.2022 को समय करीब शाम 7 बजे प्रार्थिनी कमरे के अन्दर खाना बना रही थी तभी विपक्षीगण उपरोक्त आये और प्रार्थिनी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुए कमरा खाली करने ,विरोध करने पर लात घूसों से मारने पीटने व घर में रखे बक्से को तोड़कर जेवरात नकदी व दस हजार रूपये निकाल लेने व जान से मारने की धमकी को लेकर विवाद है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा थाने की आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को समस्त तथ्य ज्ञात हैं। मामला साधारण प्रकृति का है, परन्तु तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना विदित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की संवीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीनिवास गुण्डलुरियाण्ड आदि बनाम एस0ई0पी0सी0ओ0 इलेक्ट्रानिक पावर कान्ट्रक्शन कारपोरेशन एवं अन्य एस0सी0 / 0539 / 2010** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करना है कि वह किसी भी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा विवेचना कराये अथवा धारा–200द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करे। माननीय उच्च न्यायालय की बृहद खण्डपीठ ने **सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र**

**संख्या–9297/07** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी0आर0पी0सी0 पर विवेचना करवाया जाना आवश्यक न हो तो उसे परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थतियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के अनुक्रम में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा–156(3) सी0आर0पी0सी0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा।

**आदेश**

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी0आर0सी0 परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक–06.10.2022 को पेश हो।

**(रंजना सरोज)**
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
कोर्ट सं0 25 बाराबंकी।